विज्ञापन संख्या– 1/एम0, सिमडेगा।

समाहरणालय सिमडेगा।

(खनन शाखा)

अधिसूचना संख्या 125, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2016
"परिशिष्ट 7"
(पैरा 3क देखें)

(DEIAA) एवं DEAC के विशेषज्ञों की अर्हताएँ

1. अर्हता : व्यक्ति के पास कम से कम (i) संबंधित विषय में पांच वर्ष का औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण होना चाहिए जिसकी परिणीति एम.ए.या एम.एस.सी. डिग्री के रूप में हों या (ii) इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/अभिन्यास विषय की दशा में उस क्षेत्र में विहित व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ चार वर्ष का औपचारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिसकी परिणीति बी. टेक./बी.ई./बी.आर्क. डिग्री के रूप में या (iii) अन्य व्यवसायिक डिग्री (अर्थात् एम.बी.ए. आदि) जिसमें कुल पांच वर्ष का औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण और विहित व्यवहारिक प्रशिक्षण अंतर्वलित हों या (iv) विहित शिक्षुता/आर्टिकल शिप और संबंधित व्यवसायिक संगमों द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण (अर्थात् चार्टर्ड एकाउंटेंसी) या (v) विश्वविद्यालय डिग्री के पश्चात् विश्वविद्यालय या सेवा अकादमी (अर्थात् एम.बी.ए./एम.पी.ए.) आदि के पश्चात् दो वर्ष का औपचारिक प्रशिक्षण। व्यष्टिक व्यवसायियों का चयन करते समय उनके द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में अर्जित अनुभव का ध्यान रखा जाएगा।
2. विशेषज्ञ : पूर्वोक्त पात्रता मानदंड को पूरा करने वाला व्यवसायी जिसके पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम दस वर्श का अनुभव हो या कम से कम पांच वर्ष के सुसंगत अनुभव के साथ संबंधित क्षेत्र में उन्नत डिग्री (अर्थात् पी.एच.डी.)।
3. आयु : सत्तर वर्ष से कम । तथापि किसी दिए गए क्षेत्र में विशेषज्ञों की अनुपलब्धता या कमी की दशा में अधिकतम आयु को पचहत्तर वर्ष तक अनुज्ञात किया जा सकेगा।
4. क्षेत्र : खनन, भूविज्ञान, जल विज्ञान, सुदूर संवेदन पर्यावरण क्वालिटी, पर्यावरण संघात निर्धारण प्रक्रिया, जोखिम निर्धारण, जीव विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वाणिकी और वन्य जीवन, पर्यावरण अर्थशास्त्र, जैव विभिन्नतता और नदी पारिस्थितिकी।
5. पदावधि : विशेषज्ञ सदस्यों की अधिकतम पदावधि दो पदावधियों में तीन वर्ष होगी।
6. विशेषज्ञ सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व बिना कारण और उचित जांच के नहीं हटाया जाएगा।
7. **मनोनयन किए जाने योग्य विशेषज्ञ सदस्यों की कुल संख्या – 4**
8. मानदेय : विशेषज्ञ सदस्य के रूप में चयनित सदस्यों का सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
9. निर्धारित अर्हता धारण करने वाले योग्य अभ्यर्थी अपना CV डाक द्वारा, **उपायुक्त सिमडेगा, जिला खनन कार्यालय सिमडेगा, समाहरणालय भवन, पोस्ट/जिला– सिमडेगा, पिन–835223** या इमेल द्वारा **dc-sim@nic.in** एवं **districtminingofficesimdega@yahoo.in** में दिनांक **15.03.2016** तक भेज सकते हैं।

6/2/16

उपायुक्त,
सिमडेगा।

Scanned by CamScanner

विज्ञापन संख्या– 2/एम0, सिमडेगा।

समाहरणालय सिमडेगा।

(खनन शाखा)

आवश्यक सूचना

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 125, नई दिल्ली, दिनांक 15.01.2016 एवं अधिसूचना संख्या 166, नई दिल्ली, दिनांक 20.01.2016 में निहित् प्रावधानों के आलोक में B2 Category अंतर्गत 5 हेक्टेयर या 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के लघु खनिज के परियोजना प्रस्तावों का निष्पादन **जिलास्तरीय पर्यावरणीय समाधात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA) एवं जिलास्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति (DEAC) के गठन के पश्चात जिला स्तर** पर किया जाना है। **जिलास्तरीय पर्यावरणीय समाधात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA) एवं जिलास्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति (DEAC)** की गठन की प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है एवं इन समितियों के लिए आवश्यक 4 विशेषज्ञ सदस्यों के चयन हेतु दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना विज्ञापित की जा चुकी है।

उपर्युक्त संदर्भ में सिमडेगा जिला के सभी ईट भट्ठेदारों को सूचित किया जाता है कि ईट निर्माण के संबंध में आवश्यक कागजात एवं निर्धारित शुल्क के साथ विहित पपत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र जिला खनन कार्यालय, सिमडेगा में **दिनांक 10.03.2016 तक** निश्चित रुप से दाखिल कर दें, ताकि समिति के गठन के पश्चात् आपके पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। निर्धारित अवधि के अन्दर आवेदन पत्र दाखिल नहीं किए जाने पर संबंधित ईट भट्ठेदारों के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

26/2/16

उपायुक्त,
सिमडेगा।

Scanned by CamScanner